<u>राजस्थान सरकार</u> राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : रा.क.बो. / न्याय / 2022 / 6 186

दिनांक : २९-५-२५

ः सार्वजनिक सूचना ः

राजस्थान कर बोर्ड में प्रेक्टिस कर रहे सभी अधिवक्तागण/चार्टर्ड एकाउटेंट/टैक्स प्रेक्टिशनर तथा पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 14.05..2022 (शनिवार) को राजस्थान कर बोर्ड में लिम्बत मामलों के लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हेतु विशेष बैंच का गठन किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बोर्ड में लिम्बत मामलों को लोक अदालत की भावना से वापस लेने पर ब्याज पेनेल्टी के साथ—साथ बकाया टैक्स में भी भारी छूट की घोषणा की गई है। उक्त लोक अदालत (विशेष बैंच) में लिम्बत मामलों को उक्त रकीम का लाभ लेते हुए वापस लेने (Withdraw) के जिर्य मामलों का निस्तारण किया जायेगा। अतः उक्त तिथि तक अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करवाया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार की बकाया राशि में छूट के प्रावधान इस नोटिस के साथ संलग्न है।

आज्ञा से

रिजस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : सम/

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

- 1. समस्त सदस्यगण राजस्थान कर बोर्ड।
- 2. अध्यक्ष, टैक्स बार ऐसोसिएशन।
- 3. समस्त वाणिज्यिक कर कार्यालय।
- 4. नोटिस बोर्ड।

रजिस्ट्रार राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following "Amnesty Scheme-2022", hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputed amounts, namely:-

- 1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2022.
- (2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31.8.2022.
- 2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or disputed amount pertaining to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.
 - 3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means any of the following Acts:-
 - (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
 - (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
 - (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);
 - (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
 - (v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);
 - (vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988):
 - (vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);
 - (viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and
 - (ix) The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);
 - (b) "Admitted Tax" means any amount which is admitted by the dealer or person in the return furnished or in writing before any authority;
 - (c) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;
 - (d) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;
 - (e) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;

- (f) "Declaration Form" means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;
- (g) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;
- (h) "Difference Tax" means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;
- (i) "Disputed Amount", means any tax, interest, fee or penalty for which any show cause notice has been issued or against which an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;
- (j) "Final amount", means the amount of outstanding demand or disputed amount which the assessing authority determines after adjustment/rectification/reassessment etc., if any;
- (k) "Government Entity" means any Department of Government of Rajasthan, or a corporation, company, public undertaking, cooperative society, local body, statutory body or autonomous body in which Government of Rajasthan has a share capital;
- (l) "Installment" means payment of outstanding demand or disputed amount in parts and at regular intervals;
- (m) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register:
- (n) "Phase" means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-Λ, as mentioned in the following Table:-

Table			
S.No.	Phase	Period	
1.	Phase-I	Upto 30.06.2022	
2.	Phase-II	01.07.2022 to 31.07.2022	
3.	Phase-III	01.08.2022 to 31.08.2022; and	

- (o) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.
- (2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.
- 4. Benefits under this scheme. The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:

Table-A
For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

S.	Category of outstanding	Conditions	Extent of Rebate of
No.	Demand or disputed amount		Tax and/or Waiver
			of Interest, Penalty
į			and Late Fee
1	2	3	4
1.	Outstanding demand which	(a) The applicant has	Whole amount of
!	relates to declaration forms.	submitted any of the	difference tax,
		following, alongwith an	interest, penalty and
1		undertaking and details	late fee, if any, along
		of declaration forms:-	with interest accrued
	!	(i) counterfoil of the	upto the date of
		declaration form(s);	order under this
		or	scheme.
		(ii) proof of prior	
1	\ 	submission of	
		declaration form(s);	
Ì		or	
1		(iii) any other proof of	: :
i		inter-state sale or	
		movement of goods.	
i.		(b) In cases not covered by	l l
		(a) above,-	of difference tax,
	! !	(i) Phase-I: The	1
		applicant has	
		:	late fee, if any, along
1		the difference tax.	with interest accrued
			upto the date of
		applicant has	1
		deposited 25% of	scheme.
		the difference tax.	
		(iii)Phase-III: The	
		applicant has	
		deposited 30% of	
		the difference tax.	Remaining amount
2.	Outstanding demand/ disputed	(i) Phase-I: The applicant	of tax, if any, whole
1	amount, whether penalty has	has deposited whole	
	been imposed or not,-	amount of admitted tax, if any, along with 40%	
	(i) which relates to rate of tax/		
	classification of goods/	of the amount of tax of	_
Ţ	interpretation of Act; or	the outstanding demand	date of order under
L	(ii) which relates to sale	or disputed amount.	date of order under

- mismatch or mismatch of Input Tax Credit or wrongly availed Input Tax Credit other than that covered under serial number 3 of this Table; or
- (iii) which relates to evasion cases other than those covered under serial number 3 of this Table; or
- (iv) which relates to The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas 1999 Act. and the transactions have been disclosed in the books of accounts and/or returns: or
- (v) which relates to The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988; or
- (vi) which relates to Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act. 1957; or
- (vii) which relates to The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act. 1990; or
- (viii) which relates to The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994; or
- (ix) for which any show cause notice has been issued or against which an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority; or

- (ii) Phase-II: The applicant this scheme. has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 45% of the amount of tax of. the outstanding demand or disputed amount.
- (iii) Phase-III: The applicant has deposited whole amount admitted tax, if any, along with 50% of the amount of tax of the outstanding demand or disputed amount.

	(ov)	
-	(x) against which a proceeding	
	has been initiated under	
i	The Revenue Recovery	
	Act, 1890 / The Rajasthan	1
!	Land Revenue Act. 1956.	
3.	Outstanding demand or disputed	1 (i) Phase I: The applicant Whole amount of
	amount,-	has deposited the whole interest, whole/
İ	(i) which relates to wrongly	
1	availed Input Tax Credit	t (ii) Phase II: The applicant penalty and late fee,
1	pertaining to false or forged	has deposited the whole if any, along with
}	invoices; or	amount of tax interest accrued upto
	(ii) pertaining to evasion cases,	alongwith 5% of the date of order
	which relates to	penalty, under this scheme.
	unaccounted goods and/or	(iii) Phase III: The
1	concealment of	
	transaction(s) of sale/	•
	purchase from books of	tax alongwith 10% of
	accounts.	penalty.
4.	Outstanding demand/ disputed	(i) Phase I: The applicant Remaining amount
Ì	amount which relates	
į	exclusively to interest and is	
Ì	more than rupees twenty five	·
	crore.	applicant has deposited order under this
1		45% of interest. scheme.
1	1	(iii) Phase III: The
: 		applicant has deposited
ا آ		50% of interest.
5.	Outstanding demand/ disputed	
	amount against any Government	
	Entity and any establishment of	interest, penalty and
	the Ministry of Defence,	late fee, if any, along with interest accrued
i	Government of India.	upto the date of
		order under this
		scheme.
6.	Outstanding demand or disputed	(i) Phase I: The applicant Remaining amount
	amounts not covered under	has deposited 75% of of tax, if any, whole
	category 1, 2, 3, 4 or 5 above.	the amount of tax. amount of interest,
		(ii) Phase II: The applicant penalty and late fee,
		has deposited 80% of if any, along with
ļ		the amount of tax. interest accrued upto
j		(iii) Phase III: The the date of order
,		applicant has deposited under this scheme.
		85% of the amount of
		tax.

•

Explanation:

- (1)(a) In cases other than those covered under sub-clause (b) below, where any dealer conveys his willingness for availing benefit of this scheme during the period of Phase-I, II or III, as the case may be and deposits the required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the Phase in which he had conveyed his willingness under this scheme. In case, the dealer fails to deposit the final amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in which he deposits the amount required to be deposited as per the respective Phase and in case of continuance of default beyond the operative period of this scheme, he shall not be eligible for any benefit under this scheme.
 - (b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) above, the dealer may opt to make the payment required to be made under Table-A in equal monthly installments as under:

S.	Amount required to be deposited	Maxim	um number
No.	as per Table-A above (in Rs.)	of	installments
	j	l allowed	1
1.	Upto 50 lakh		4
2.	More than 50 lakh and upto 1 crore	-	5
3.	More than 1 crore		6

The time period for making the payment in installments shall start with the acceptance of final amount and to avail the benefit of the Phase in which willingness under this scheme had been submitted, the applicant shall be required to deposit the first installment within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme. Payment of subsequent installments shall become due after every thirty days of making payment of first installment. In case, the applicant who has opted for making payment in installments, fails to pay the required installments in the stipulated time, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required installments in the stipulated time, he may condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted

- accordingly. The benefits of this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/disputed amount as per the provisions of this scheme.
- (3) Where the outstanding demand or disputed amount comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.
- (4) For category of outstanding demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.
- (5) Where the outstanding demand or disputed amount pertaining to the period upto 30.06.2017 has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued upto the date of order under this scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.
- (6) Where any application for adjustment/rectification/reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it on priority basis.
- (7) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/reassessment order or show cause notice issued in regard of the said disputed amount. In such cases, the assessing authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the stipulated time.
- **5.** Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-
 - (i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this scheme or as per Explanation (1) to clause 4 above, as the case may be;
 - (ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and
 - (iii) No refund shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.
- 6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.

- (2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demands/disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.
- (3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.
- (4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.
- (5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 to 6 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.
- 7. Provisions for cases pending under Amnesty Scheme-2021.- (1) In cases where the required amount under Amnesty Scheme-2021 has already been deposited, AS-II shall be generated as per the procedure laid down in this regard by the Commissioner, Commercial Taxes under the said scheme.
- (2) In all other cases in which any task is pending under Amnesty Scheme-2021, where payment has either not been made or partially made prior to the issuance of this scheme, willingness submitted under Amnesty Scheme-2021 shall deemed to have been submitted under Phase-1 of this scheme and amount required to be paid shall be communicated afresh to the dealer as per Table-A of this scheme. The amount deposited, if any, under Amnesty Scheme-2021 shall be adjusted against the amount required to be paid as per Table-A of this scheme.
- (3) No refund of any payment already made under Amnesty Scheme-2021 shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

[No.F.12(11)FD/Tax/2022-103] By order of the Governor,

(Tina Dabi)

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 23, 2022

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिवेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए निम्नलिखित "एमनेस्टी स्कीम-2022", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम एमनेस्टी स्कीम-2022 है।
- (2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत होगी और 31.08.2022 तक प्रवृत रहेगी।
- 2. लागू होना.- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सिम्मितित माल के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी अधिनियम के अधीन कोई परादेय मांग या विवादित रकम हैं।
 - 3. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-
 - (i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);
 - (ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);
 - (iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);
 - (iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);
 - (v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13);
 - (vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);
 - (vii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम. 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);
 - (viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9): और
 - (ix) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और ५सके ५८पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);
 - (ख) "स्वीकृत कर" से कोई रकम अभिप्रेत है जो व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी विवरणी में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लिखित में स्वीकृत की गई है:

- (ग) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी सूचित करता है:
- (घ) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है:
- (ङ) "ट्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई ट्यवहारी अभिप्रेत है;
- (च) "घोषणा प्ररूप" से कर की रियायती दर पर माल के विक्रय या क्रय या कर से छूट के तिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (छ) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है:
- (ज) "अंतर कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये जाने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत हैं:
- (झ) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके लिए कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है या जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सिम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकारी द्वारा रिमांड किये गये है;
- (ञ) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;
- (ट) "सरकारी इकाई" से राजस्थान सरकार का कोई विभाग, या निगम, कंपनी, लोक उपक्रम, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय जिसमें राजस्थान सरकार का शेयर पूंजी है, अभिप्रेत है;
- (ठ) "किस्त" से परादेय मांग या विवादित रकम का. भागों में और नियमित अंतरालों पर संदाय अभिप्रेत है:
- (इ) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत हैं:
- (ढ) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम के संदाय के लिए, निम्नतिखित सारणी में यथावर्णित अवधि अभिप्रेत है :-

सारणी				
क्र.सं.	चरण	अवधि	_	
1.	चरण-।	30.06.2022 तक	·	
2.	चरण-॥	01.07.2022 से 31.07.2022		
3.	चरण-॥	01.08.2022 से 31.08.2022	ं ; और	

- (ण) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।
- (2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

4. इस स्कीम के अधीन फायदे.- कर की छूट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग पर स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी-क

	कर की रिबेट और/या ब्याज	शास्ति	न और विलम्ब फीस के अधित	
ं क्र. सं.	मान्यावत (पान		शर्ते	कर की रिबेट
1	! का प्रवर्ग			और/या ब्याज
1	: 	Ì		शास्ति और विसम्ब
	I			फीस के अधित्यजन
		ļ		की सीमा
- ¹	2		3	4
1,	परादेय मांग, जो घोषणा प्ररूपों से	(ফ)	आवेदक, वचनबंध और	
'	संबंधित है।		ोषणा प्ररूपों के व्योरों के	
; l			1थ. निम्नलिखित में से	,
i			ोई एक प्रस्तुत कर देता है:-	i .
:			घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) का	
·			प्रतिपर्णः या	और विलंब फीस,
	İ	(ii) t	बोषणा प्ररूप (प्ररूपों) के पूर्व	t e
· [!	i	प्रस्तुतीकरण का सबूत: या ः	· ·
			माल के अन्तरराज्यिक !	"
	<u> </u>	f	वैक्रय या संचलन का कोई	
!		3	भन्य सबूत।	
'		(অ) 3	उपर्युक्त (क) में नहीं आने	अंतर कर की शेष
			े ते मामले:- ।	रकम, इस स्कीम के
!	Ì	(j) ₹	वरण-।: आवेदक ने अंतर	अधीन आदेश की
	İ	2	कर का 20 प्रतिशत जमा	तारीख तक प्रोद्भत
·	·	2	क्रा दिया हो।	व्याज के साथ
		(ii) t	वरण-॥: आवेदक ने अंतर	ब्याज, शास्ति और
i t	į	2	कर का 25 प्रतिशत जमा	विलंब फीस, यदि
	·	7	करा दिया हो।	कोई हो, की संपूर्ण
	!	(iii) i	वरण-।।।: आवेदक ने अंतर	रकम।
		-	कर का 30 प्रतिशत जमा	
:		ē	करा दिया हो। :	
<u> </u>	परादेय मांग/विवादित रकम, चाहे	(i) 3	चरण-।: आवेदक ने परादेय	कर की शेष स्कम.
٤. :	शास्ति अधिरोषित की गयी है या	, ;	मांग या विवादित रकम के	चिद्धि काई है।, इस
}	नहीं:		कर की 40 प्रतिशत रकम	स्कीम के अधीन

- (i) जो कर की दर/माल के वर्गीकरण/अधिनियम के निर्वचन से संबंधित है; या
- 3 के अधीन आने वाली से भिन्न, जो विक्रय मिसमैच या आगत कर मुजरा के मिसमैच या गलत रूप से उपभुक्त आगत कर मुजरा से संबंधित है; या
- (iii) जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 3 के अधीन आने वाले से भिन्न अपवंचन मामलों से संबंधित है; या
- (iv) जो राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम. 1999 संबंधित हैं और लेखा पुस्तकों और/या विवरणियों में संद्यवहार दर्शित किये गये हैं: या
- (v) जो राजस्थात स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 से संबंधित है; या
- (vi) जो राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 से संबंधित है: या
- (vii) जो राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम. 1990 संबंधित है: या
- (viii)जो राजस्थान विलासों (तम्बाक् और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 से संबंधित है; या
- (ix) जिसके लिए कोई कारण

- के साथ स्वीकृत कर, यदि आदेश की तारीख कोई हो, की संपूर्ण रकम तक प्रोद्भत ब्याज के जमा करा दी हो।
- (ii) इस सारणी के क्रम संख्यांक (ii) चरण-II: आवेदक ने परादेय और मांग या विवादित रकम के यदि कोई हो, की कर की 45 प्रतिशत रकम संपूर्ण रकम। के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।
 - आवेदक (iii) चरण-III: परादेय भांग या विवादित रकम के कर की के साथ प्रतिशत रकम स्वीकृत कर, यदि कोई हो. की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।

साथ ब्याज, शास्ति विलंब फीस.

	बताओं नोटिस जारी किया		
	गया है या जिसके विरुद्ध		
	कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट		
	याचिका या विशेष अनुमति	İ	
	याचिका लंबित या अनुध्यात		
	है और इसमें वे मामले भी		
,	सम्मिलित हैं जो किसी		
i	प्रधिकारी द्वारा रिमांड किये		
	गये हैं; या		
	(x) जिसके विरुद्ध राजस्व वसूली		
ļ	अ धिनियम, 1890/		
	राजस्थान भू-राजस्य	:	!
	अधिनियम, 1956 के अधीन		
;	कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।		
3.	परादेय मांग या विवादित रकम,-	(i) चरण-I: आवेदक ने कर की	ब्याज की संपूर्ण
!	(i) जो मिथ्या या क्टरचित	संपूर्ण रकम जमा करा दी	रकम, इस स्कीम के
i	बीजकों से संबंधित, गलत	हो।	अधीन आदेश की
1	रुप से उपयोग में लिये गये	(ii) चरण-II: आवेदक ने शास्ति	तारीख तक प्रोद्भूत
	आगत कर मुजरा से	के 5 प्रतिशत के साथ कर	ब्याज के साथ
	संबंधित है: या	की संपूर्ण रकम जमा करा	शास्ति और विलंब
	(ii) अपवंचन मामले जो लेखाओं	दी हो।	फीस. यदि कोई हो,
	में अंकित नहीं किये गये	(iii) चरण- III: आवेदक ने	की संपूर्ण/शेष
	माल और/या क्रय/विक्रय	शास्ति के 10 प्रतिशत के	रकम।
	के संव्यवहार (संव्यवहारों)	साथ कर की संपूर्ण रकम	
	को लेखा पुस्तकों से छिपाने	जमा करा दी हो।	
	से संबंधित हैं।		<u></u>
: 4.	परादेय मांग/विवादित रकम जो,	(i) चरण-I: आवेदक ने ब्याज	इस स्कीम के अधीन
	अनन्य रूप से व्याज से संबंधित	का 40 प्रतिशत जमा करा	आदेश की तारीख
!	है और 25 करोड़ रुपये से अधिक	दिया हो।	तक प्रोद्भूत ब्याज के
	है।	(ii) चरण-II: आवेदक ने ब्याज	साथ ब्याज की शेष
i		का 45 प्रतिशत जमा करा	रकम।
	:	दिया हो।	
•		i (iii) चरण-III : आवेदक ने ब्याज	
		का 50 प्रतिशत जमा करा	: :
i		दिया हो।	
5.	किसी सरकारी इकाई और रक्षा	लागू नहीं।	इस स्कीम के अधीन
	मंत्रालय, भारत सरकार के		आदेश की तारीख
		· · <u>-</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	संस्थापन के विरुद्ध परादेय		तक प्रोद्भृत ब्याज के
	मांग/विवादित रकम।		साथ कर की रकम
	1	!	और व्याज, शास्ति
		'	और विलम्ब फीस,
	i :		यदि कोई हो, की
			संपूर्ण रकम।
6.	उपर्युक्त प्रवर्ग 1,2,3,4 या 5 के	(i) चरण-1: आवेदक ते कर की	कर की शेष रकम,
	अधीन नहीं आने वाली परादेय	रकम का 75 प्रतिशत जमा	यदि कोई हो, इस
	मांग या विवादित रकम।	करा दिया हो।	स्कीम के अधीन
		(ii) घरण-II: आवेदक ने कर	आदेश की तारीख
	ı	की रकम का 80 प्रतिशत	तक प्रोद्भृत ब्याज के
	ı	जमा करा दिया हो।	साथ ब्याज, शास्ति ।
:		(iii) चरण-III: आवेदक ने कर	और विलम्ब फीस,
	:	की रकम का 85 प्रतिशत	यदि कोई हो, की
	1	जमा करा दिया हो।	संपूर्ण रकम।

स्पष्टीकरणः

(1)(क) उन मामलों को छोड़कर जो तीचे उप-खण्ड (ख) के अधीन आते हैं जहां कोई व्यवहारी चरण-1, 11 या. यथास्थिति, 111 की कालावधि के दौरान इस स्कीम के फायदे उपभुक्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से. जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर या क्रमिक चरणों की अंतिम तारीख से पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह उस वरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तब वह उस चरण में फायदों के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने अपेक्षित रकम जमा की है और इस स्कीम की प्रवर्तन कालाविध से पर व्यतिक्रम की निरन्तरता के मामले में, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी व्यवहारी, सारणी-क के अधीन किया जाने वाला अपेक्षित संदाय, निम्लानुसार समान मासिक किस्तों में करने का विकल्प दे सकेगा-

क्र.सं.	उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार निक्षिप्त की	किस्तों की अनुजात अधिकतम
	जाने याली अपेक्षित रकम (रु. में)	संख्या
1.	' 50 लाख तक	4
2.	50 लाख से अधिक और । करोड़ तक	5
3.	। करोड़ से अधिक	6

किस्तों में संदाय करने के लिए कालायि, अंतिम रकम की स्वीकृति से प्रारंभ होगी और आवेदक यदि उस चरण के फायदे लेना चाहता है जिसके लिए उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजानंदी दी है तो उससे उस दिन से, जिससे इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम रकम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित की जाती है, दस दिन के भीतर प्रथम किस्त निक्षिप्त की जानी अपेक्षित है। पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय, प्रथम किस्त के संदाय किये जाने के प्रत्येक तीस दिवस के पश्चात् शोध्य होगा। यदि आवेदक, जिसने किस्तों में संदाय का विकल्प दिया है, नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने में विफल रहता है, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने से परावृत्त किये जाने के समुचित कारण थे, तो वह ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदे उपभुक्त करने के लिए अनुजात कर सकेगा।

- (2) इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व अपील फाइल किये जाने के लिए निक्षिप्त किसी रकम को सम्मिलित करते हुए जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके मृजन के पश्चात, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, मांग और संग्रहण रिजस्टर (डी.सी.आर.) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए ही उपलब्ध होंगे।
- (3) जहां परादेय मांग या विवादित रकम पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलस्ब फीस को समाविष्ट करती है. वहां ऐसे भामतों में कर की रकम जमा की गयी समझी जायेगी।
- (4) परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, निर्धारण प्राधिकारी भामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।
- (5) जहां 30.06.2017 तक की अवधि से संबंधित मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उससे संबंधित ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्गृहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।
- (6) असं मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है. से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर वह उसे प्राथिमकता के आधार पर निपटायेगा।

- (7) विवादित रकम से संबंधित मामले. जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/ पुनर्निर्धारण आदेश या उक्त विवादित रकम के संबंध में जारी किये गये कारण बताओं मोटिस के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रत्याहत करेगा या नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 5. शर्ते.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्ता को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात:-
 - (i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालाविध के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपर्युक्त खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है:
 - (ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर वोर्ड या. यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालाविध के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और
 - (iii)इत स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुजात नहीं किया जायेगा।
- 6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।
- (2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांगों/ विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् सूचना दी जायेगी।
- (3) इस स्कीम के अधीन फायदों का चयन करने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रक्तम के ब्यौरे इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले सदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।
- (4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए व्यौरेवार प्रक्रिया. स्पष्टीकरण और किताईयां, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।
- (5) सारणी-क के क्रम संख्यांक 1 से 6 के अधील परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामलें में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।
- 7. एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन लंबित मामलों के लिए उपबंध.- (1) ऐसे मामलों में, जहां एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन अपेक्षित रकम पहले ही निक्षिप्त कर दी गयी है, आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा उक्त स्कीम के अधीन इस संबंध में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार एएस-।। जनित किया जायेगा।

- (2) समस्त अन्य मामलों में, जिनमें एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन कोई टास्क लंबित हैं, जहां इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व संदाय या तो नहीं किया गया है या भागतः किया गया है, एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन दी गयी रजामंदी, इस स्कीम के चरण-1 के अधीन दी गयी समझी जायेगी और संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम, इस स्कीम की सारणी-क के अनुसार व्यवहारी को नये सिरे से संस्चित की जायेगी। एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम की सारणी-क के अनुसार संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।
- (3) एमनेस्टी स्कीम-2021 के अधीन पूर्व में किये गये किसी संदाय का इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुजात नहीं किया जायेगा।

[प.12(11)वित्त/कर/2022-103]

राज्यपाल के आदेश से.

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

In exercise of the powers conferred by section 51A and 51B of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following "Amnesty Scheme for goods not subsumed in GST", hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

- 1. Short title and operative period.— (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme for goods not subsumed in GST.
- (2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31.8.2022.
- 2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts created upto 31.01.2022 under any Act, pertaining to the goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.
 - 3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means any of the following Acts:-
 - (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
 - (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
 - (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956); and
 - (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
 - (b) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;
 - (c) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;
 - (d) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;
 - (e) "Declaration Form" means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;
 - (f) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;
 - (g) "Difference Tax" means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;
 - (h) "Disputed Amount", means any tax, interest, fee or penalty against which an appeal, revision. Writ Petition or Special Leave Petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;
 - (i) "Final amount" means the amount of outstanding demand or disputed amount which the assessing authority determines after adjustment/rectification/reassessment etc., if any;

- (j) "Installment" means payment of outstanding demand or disputed amount in parts and at regular intervals;
- (k) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register:
- (I) "Phase" means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-A, as mentioned in the following Table:-

Table

S.No.	Phase	Period	
1.	Phase-I	Upto 30.06,2022	
2.	Phase-II	01.07.2022 to 31.07.2022	
3.	Phase-III	01.08.2022 to 31.08.2022	; ar

- (m) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.
- (2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.
- 4. Benefits under this scheme. The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

Table-A

For Rebate of Tax and/or	Waiver of Interest.	. Penalty and Late Fee
		,

S. No.	Category of outstanding	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver
	Demand or		of Interest, Penalty
	disputed amount		and Late Fee
1	2	3	4
1.	Outstanding	(i) Phase 1: The applicant has deposited	Remaining amount
	demand or	the whole amount of tax.	of penalty, whole
ļ	disputed amount	(ii) Phase II: The applicant has deposited	amount of interest
	pertaining to	the whole amount of tax alongwith 5%	and late fee, if any,
	evasion cases and	of penalty.	along with interest
İ	created upto	(iii)Phase III: The applicant has deposited	accrued upto the
	31.03.2017.	the whole amount of tax alongwith	date of order under
		10% of penalty.	this scheme.
2.	Outstanding	(i) Phase I: The applicant has deposited	Remaining amount
!	demand or	the whole amount of tax alongwith	of interest, penalty
į	disputed amount	15% of interest and 15% of penalty.	and late fee, if any,
İ	pertaining to	(ii) Phase II: The applicant has deposited	along with interest
	evasion cases and	the whole amount of tax alongwith	accrued upto the
	created after	20% of interest and 20% of penalty.	date of order under
	31.03.2017 and	(iii)Phase III: The applicant has deposited	this scheme.
•	upto 31.01.2022.	the whole amount of tax alongwith	
i	-	25% of interest and 25% of penalty.	

3.	Outotanding	(a) The Thomas I (b) 1 (c)	(171)
· J.	Outstanding demand which	(a) The applicant has submitted any of the	r
	-1 -	following, alongwith an undertaking	<u> </u>
	declaration forms.	and details of declaration forms:	interest, penalty and
	deciaration torms.	(i) counterfoil of the declaration	
1		form(s); or	with interest accrued
ļ		(ii) proof of prior submission of	•
		declaration form(s); or (iii) any other proof of inter-state sale	order under this
'		or movement of goods.	soneme.
į		(b) In cases not covered by (a) above,-	Remaining amount
		(i) Phase-I: The applicant has	of difference tax,
		deposited 20% of the difference	whole amount of
		tax.	T I
}		(ii) Phase-II: The applicant has	interest, penalty and
İ		deposited 25% of the difference	late fee, if any, along
		tax.	with interest accrued
		(iii) Phase-III: The applicant has	upto the date of
		deposited 30% of the difference	order under this
1		tax.	scheme.
4.	Outstanding	(i) Phase I: The applicant has deposited	Remaining amount
	demand or	90% of tax.	of tax, whole
	disputed amounts	(ii) Phase II: The applicant has deposited	amount of interest,
;	created upto	95% of tax.	penalty and late fee,
	31.03.2017 and	(iii) Phase III: The applicant has deposited	if any, along with
	not covered under	100% of tax.	interest accrued upto
	category 1 or 3		the date of order
İ	above.		under this scheme.
5.	Outstanding	(i) Phase I: The applicant has deposited	Remaining amount
, , ,	demand or	whole amount of tax.	of interest, whole
ĺ	disputed amounts	(ii) Phase II: The applicant has deposited	
	created after		and late fee, if any,
		whole amount of tax along with 10%	
	31.03.2017 and		along with interest
	upto 31.01.2022	(iii) Phase III: The applicant has deposited	accrued upto the
1	and not covered	whole amount of tax along with 20%	
	under category 2	of the amount of interest, if any.	this scheme.
	or 3 above.		
1			

Explanation:

(1)(a) In cases other than those covered under sub-clause (b) below, where any dealer conveys his willingness for availing benefit of this scheme during the period of Phase-I, II or III, as the case may be and deposits the required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the Phase in which he had conveyed his willingness under this scheme. In case, the dealer fails to deposit the final amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in

which he deposits the amount required to be deposited as per the respective Phase and in case of continuance of default beyond the operative period of this scheme, he shall not be eligible for any benefit under this scheme.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) above, the dealer may opt to make the payment required to be made under Table-A in equal monthly installments as under:

S. No.	Amount required to be deposited as per Table-A above (in Rs.)	Maximum number of installments allowed
1.	Upto 50 lakh	4
2.	More than 50 lakh and upto 1 crore	5
3.	More than 1 crore	6

The time period for making the payment in installments shall start with the acceptance of final amount and to avail the benefit of the Phase in which willingness under this scheme had been submitted, the applicant shall be required to deposit the first installment within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme. Payment of subsequent installments shall become due after every thirty days of making payment of first installment. In case, the applicant who has opted for making payment in installments, fails to pay the required installments in the stipulated time, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required installments in the stipulated time, he may condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

- Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits of this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/disputed amount as per the provisions of this scheme.
- (3) For category of outstanding demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.
- (4) Where the outstanding demand or disputed amount has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued upto the date of order under this scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.

- (5) Where any application for adjustment/rectification/reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it on priority basis.
- (6) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/reassessment order. In such cases, the assessing authority concerned shall submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the stipulated time.
- 5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-
 - (i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this scheme or as per Explanation (1) to clause 4 above, as the case may be;
 - (ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and
 - (iii) No refund shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.
- 6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.
- (2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demands/ disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.
- (3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.
- (4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.
- (5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 to 5 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

[No.F.12(11)FD/Tax/2022-104] By order of the Governor,

(Tina Dabi)

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 23, 2022

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क और 51ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार. यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए निम्नलिखित "जीएसटी में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए एमनेस्टी स्कीम", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिस्चित करती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम जीएसटी में सिम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए एमनेस्टी स्कीम है।
 - (2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत होगी और 31.08.2022 तक प्रवृत रहेगी।
- 2. लागू होना.- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सिम्मिलित माल के संबंध में यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध अधिनयम के अधीन 31.01.2022 तक सृजित परादेय मांग या विवादित रकम हैं।
 - 3. परिभाषाएं.- (१) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-
 - (i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29):
 - (ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);
 - (iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);
 - (iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);
 - (ख) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी स्चित करता है;
 - (ग) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है:
 - (घ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;
 - (ङ) ''घोषणा प्ररूप'' से कर की रियायती दर पर माल के विक्रय या क्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिपेत हैं:
 - (च) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है:
 - (छ) "अंतर कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये आने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत हैं:
 - (ज) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुभित याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्रधिकारी द्वारा रिमांड किये गये हैं:

- (झ) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है:
- (त्र) 'किस्त' से परादेय मांग या विवादित रकम का, भागों में और नियमित अंतरालों पर संदाय अभिप्रेत है:
- (ट) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है:
- (ठ) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम के संदाय के लिए, निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित अविध अभिप्रेत है :-

सारणी				
क्र.सं.	चरण	अवधि		
1.	चरण-।	30.06.2022 तक		
2.	चरण-।।	01.07.2022 से 31.07.2022		
3.	चरण-।।।	01.08.2022 से 31.08.2022	; और	

- (इ) "कर" में प्रशमन रकम या कर के वदले में एकम्श्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।
- (2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।
- 4. इस स्कीम के अधीन फायदे.- कर की छूट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग पर स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी-क कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए

<u>क्र</u> .	परादेय मांग या	शर्तें	कर की रिबेट
₹.	विवादित रकम का	,	और/या ब्याज,
	प्रवर्ग		शास्ति और विलम्ब
			फीस के अधित्यजन
			की सीमा
1	2	3	4
1.	अपवंचन मामलों से	(i) चरण-1: आवेदक ने कर की संपूर्ण	शास्ति की शेष रकम,
	संबंधित परादेय मांग		इस स्कीम के अधीन
	। या विवादित रकम और	(ii) चरण-II: आवेदक ने शास्ति के 5	आदेश की तारीख [!]
	जो 31.03.2017 तक	प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम	
:	सृजित हुई है।	जमा करा दी हो।	साथ ब्याज और

		(iii) चरण-III: आवेदक ने शास्ति के 10	विलंब फीस, यदि
, {		प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम	_
		जमा करा दी हो।	रकम।
2.	अपवंचन मामलों से	(i) चरण-I: आवेदक ने ब्याज के 15	इस स्कीम के अधीन
	संबंधित परादेय मांग	प्रतिशत और शास्ति के 15 प्रतिशत	
	या विवादित रकम और	के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा	
	जो 31.03.2017 के	करा दी हो।	ताथ ब्याज, शास्ति
	पश्चात और	(ii) चरण-II: आवेदक ने व्याज के 20	और विलंब फीस,
	31.01.2022 तक	प्रतिशत और शास्ति के 20 प्रतिशत	:
	मुजित हुई है।	के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा	
	J	करा दी हो।	
		(iii) चरण-III: आवेदक ने ब्याज के 25	
		प्रतिशत और शास्ति के 25 प्रतिशत	
		के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा	
		करा दी हो।	
3.	परादेय मांग जो घोषणा	(क) आवेदक, वचनबंध और घोषणा प्ररूपों	इस स्कीम के अधीन
	प्ररूपों से संबंधित हो।	के ब्यौरों के साथ, निम्नलिखित में से	आदेश की तारीख
		कोई एक प्रस्तुत कर देता है:-	तक प्रोद्भूत ब्याज के
		(i) घोषणा ग्ररूप (प्ररूपों) का प्रतिपर्णः	साथ अंतर कर.
		या	ब्याज, शास्ति और
		(ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) के पूर्व	विलंब फीस, यदि
İ		प्रस्तुतीकरण का संयूत; या	कोई हो, की संपूर्ण
		(iii) माल के अन्तरराज्यिक विक्रय या	रकम।
		संचलन का कोई अन्य सब्त।	
		(ख) उपर्युक्त (क) में नहीं आने वाले	
		मामलों में:-	रकम, इस स्कीम के
		(i) चरण-ाः आवेदक ने अंतर कर का	अधीन आदेश की
		20 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	1
		(ii) चरण-II: आवेदक ने अंतर कर का	
		25 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	
		(iii) चरण-III: आवेदक ने अंतर कर	फीस, यदि कोई हो.
		का 30 प्रतिशत जमा करा दिया	की संपूर्ण रकम।
		हो।	
4.	31.03.2017 तक		कर की शेष रकम,
4.	मृजित और उपर्युक्त	(i) चरण-।: आवेदक ने कर का 90 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	इस स्कीम के अधीन
4.	मृजित और उपर्युक्त	(i) चरण-1: आवेदक ने कर का 90	इस स्कीम के अधीन

	गांग या विवादित	(iii) चरण-III: आयेदक ने कर का 100 साथ ब्याज, शास्ति
	रकम्	प्रतिशत जमा करा दिया हो। अगैर विलंब फीस,
		यदि कोई हो, की
		संपूर्ण रकम।
5.	31.03.2017 के पश्चात्	(i) चरण-!: आवेदक ने कर की संपूर्ण व्याज की शेष रकम,
	और 31.01.2022 तक	रकम जमा करा दी हो। इस स्कीम के अधीन
İ	मृजित और उपर्युक्त	(ii) चरण-II: आवेदक ने ब्याज की रकम, आदेश की तारीख
	प्रवर्ग 2 या 3 के	यदि कोई हो, के 10 प्रतिशत के साथ तक प्रोद्भृत ब्याज के
	अधीन नहीं आने वाली	कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। साथ शास्ति और
	परादेय मांग या	(iii) चरण-III: आवेदक ने ब्याज की रकम, विलम्ब फीस, यदि
	विवादित रकम।	यदि कोई हो, के 20 प्रतिशत के साथ [े] कोई हो, की संपूर्ण
	i	कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। रकम।

स्पष्टीकरणः

(1)(क) उन मामलों को छोड़कर जो नीचे उप-खण्ड (ख) के अधीन आते हैं जहां कोई टयवहारी चरण
1, 11 या, यथास्थिति, 111 की कालावधि के दौरान इस स्कीम के फायदे उपभुक्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है. दस दिन के भीतर या क्रिमेक चरणों की अंतिम तारीख से पूर्व. जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह उस चरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है. तब वह उस चरण में फायदों के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने अपेक्षित रकम जमा की है और इस स्कीम की प्रवर्तन कालाविध से परे व्यतिक्रम की निरन्तरता के मामले में, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी व्यवहारी, सारणी-क के अधीन किया जाने वाला अपेक्षित संदाय, निम्नानुसार समान मासिक किस्तों में करने का विकल्प दे सकेगा-

क्र.सं.	उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार निक्षिप्त की	किस्तों की अनुज्ञात अधिकतम
İ	जाने वाली अपेक्षित रकम (रु. में)	संख्या
1.	50 लाख तक	4
2,	50 लाखं से अधिक और 1 करोड़ तक	5
3.	। करोड़ से अधिक	6

किस्तों में संदाय करने के लिए कालावधि, अंतिम रकम की स्वीकृति से प्रारंभ होगी और आवेदक यदि उस चरण के फायदे लेना चाहता है जिसके लिए उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी दी है तो उससे उस दिन से, जिससे इस स्कीम के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित अंतिम रकम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित की जाती है, दस दिन के

भीतर प्रथम किस्त निक्षिप्त की जानी अपेक्षित है। पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय, प्रथम किस्त के संदाय किये जाने के प्रत्येक तीस दिवस के पश्चात् शोध्य होगा। यदि आवेदक, जिसने किस्तों में संदाय का विकल्प दिया है, नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने में विफल रहता है, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने से परावृत्त किये जाने के समुचित कारण थे, तो वह ऐसे विलंब को माफ कर संकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदे उपभुक्त करने के लिए

अनुजात कर सकेगा।

इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व अपील फाइल किये जाने के लिए निक्षिप्त रकम को (2) सिम्मिलित करते हुए जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तदुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए उपलब्ध होंगे।

परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त (3) सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है. निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर

निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

जहां परादेय मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उससे संबंधित (4) ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्गृहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में इस स्कीम के अधील आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।

जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय (5) रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना

पर वह उसे प्राथिमकता के आधार पर निपटायेगा।

विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में (6) कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/ पुनर्निर्धारण आदेश के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी ल्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- 5. शर्ते.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्ता को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात:-
 - (i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपर्युक्त खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है:
 - (ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या. यथास्थिति. अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनवंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालाविध के भीतर प्रस्तुत कर दिया है: और
 - (iii) इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुजात नहीं किया जायेगा।
- 6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।
- (2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांगों/ विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् सूचना दी जायेगी।
- (3) इस स्कीम के अधीन फायदों का चयन करने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के व्यौरे इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्ध्त किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित इलेक्ट्रानिक रूप से स्चित करेगा।
- (4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और किनाईयां, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिस्चित किये जायें।
- (5) सारणी-क के क्रम संख्यांक 1 से 5 के अधीत परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामले में आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।

[प.12(11)यित्त/कर/2022-104] राज्यपाल के आदेश से.

at.

(टीना डाबी) संयुक्त शासन सचिव